



कार्यालय वनमंडलाधिकारी, पश्चिम बैतूल(सा.) वनमंडल



टेलीफैक्स नं. (07141)234708

आकाशवाणी रोड़, बैतूल (म.प्र.)

E-mail Address – dfotwbetul@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2018/ 979

प्रति,

बैतूल, दिनांक 29/7/19

कलेक्टर,
(भू-अभिलेख शाखा) बैतूल
विषय:- वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु छोटे बड़े झाड़ के जंगल मद की राजस्व की राजस्व भूमि उपलब्ध कराने बाबत।
संदर्भ:- 1. आपका पत्र क्रमांक/1910/एल.आर.-2/वन व्य/2017 दिनांक 29/10/2018
2. कार्यालयीन पत्र क्र./मा.चि./2296 दिनांक 14/10/2018 एवं 896 दि..03/05/19

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके संदर्भित पत्र से प्राप्त आदेश क्र./एल.आर.2/ भू-अभि./ 2018/1707 दिनांक 25/09/2018 से नर्मदा विकास प्राधिकरण के अंतर्गत प्रस्तावित मोरण्ड- गंजाल सिंचाई परियोजना से प्रभावित वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये योजना के तहत निम्नानुसार ग्रामवार, खसरावार प्राप्त हुआ है :-

क्रमांक	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित रकबा हे.
1	चिचोली	अटारी	93/1,115/1,128/1, 131/1,75/1,63	75.000
2	चिचोली	जोगली खास	463	25.000
3	भैसदेही	सिंगारचावडी	1/1/1, 41/1	25.000
4	भैसदेही	झापल	31/1	20.000
5	भैसदेही	ढगना	32/1	20.000
6	भैसदेही	काबरा	157/1	20.000
7	भैसदेही	आँखी रैयत	37/1,38, 42/1, 44	20.000
8	भैसदेही	मोहदा	142/1	14.000
9	भैसदेही	जडिया	159,160,161,152/1, 152/2, 152/4	60.000

जिसमें पूर्व में ही अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(भू-प्रबंध) सतपुडा भवन म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-10/219/2015-16 दिनांक 14/07/2016 से रामपुरा खुर्द परियोजना के तहत वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिये प्रस्तावित किया गया है। इस संबंध में कोई दूसरी राजस्व भूमि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था किन्तु दूसरी राजस्व भूमि की जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है। अतः प्रस्तावित मोरण्ड गंजाल सिंचाई परियोजना के संबंध में दूसरी राजस्व भूमि उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

पृ.क्र./मा.चि. 980

प्रतिलिपि :- अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (भू-प्रबंध) म.प्र.भोपाल की ओर आपके संदर्भित पत्र क्र./एफ-3-16/18/10-11/1275 दि. 29/04/19 के संदर्भ में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित है।

वनमंडलाधिकारी,
पश्चिम बैतूल (सा.) वनमंडल
बैतूल, दिनांक 29/7/19

वनमंडलाधिकारी,
पश्चिम बैतूल (सा.) वनमंडल